S.K.N. COLLEGE OF AGRICULTURE
(Sri Karan Narendra Agriculture University)
Jobner Distt. Jaipur (Raj.) - 303 329
Phone : 01425 254022 Email : dean.skncoa@sknau.ac.in

Dr. M.R. Choudhary
DEAN

No. SKNCOA/Acctt/Tender/2024/725 Date: 11.07.2024

हिस्सा आधारित खेती हेतु निविदा

इन्सट्रक्शनल फार्म, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के महाविद्यालय परिसर एवं केरिया फार्म हेतु **हिस्सा आधारित खेती** के लिए निविदाऐं आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति या फर्म निर्धारित प्रपत्र में **अपना व महाविद्यालय का हिस्सा** भरकर सीलबन्द लिफाफे में जमा करवा सकता है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

1.	कार्य का विवरण	**हिस्सा आधारित खेती**
2.	बजट हेड	रिवोल्विंग फण्ड
3.	कार्य की अनुमानित लागत	**5.00 लाख रूपये**
4.	कार्य की अनुमानित अवधि	खरीफ – 2024
5.	फसलों का अनुमानित क्षेत्रफल	अ. महाविद्यालय परिसर – **31 हैक्टर** ब. केरिया फार्म – **15.5 हैक्टर**
6.	निविदा फार्म का शुल्क	500.00 रूपये
7.	अमानत राशि	**500.00 रूपये प्रति हैक्टर (सफल हिस्सेदार से)**
8.	धरोवर राशि	5000.00 रूपये
9.	फार्म प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	**17.07.2024 सांय 05.00 बजे तक**
10.	फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि	**18.07.2024 सुबह 11.00 बजे तक**
11.	निविदा खोलने का समय	**18.07.2024 दोपहर 01.00 बजे**

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर को प्रषित कर निवेदन है कि निविदा खोलने की दिनांक **18.07.2024** को आप स्वंय या अपना प्रतिनिधी भिजवायें।
2. प्रभारी अधिकारी, इन्सट्रक्शनल फार्म, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान् संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर।
4. श्रीमान् प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर को प्रस्तुत कर अनुरोध है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईड www.sknau.ac.in एवं SPPP पोर्टल पर अपलोड़ करवायें।
5. रक्षित पत्रावली।

अधिष्ठाता

हिस्सा आधारित खेती हेतु प्रपत्र

अ. महाविद्यालय परिसर

क्र. सं.	ब्लोक	फिल्ड नम्बर	अनुमानित क्षैत्रफल (हैक्टर)	फसल	महाविद्यालय का हिस्सा (%)	हिस्सेदार का हिस्सा (%)
1.	A ब्लोक	7 B, 8B	1.5	ग्वार		
		8 D	2.0	ग्वार		
		9 A	0.5	मूंग		
		10 A, B	5.0	ग्वार		
		10 C, D	4.0	मूंग, चवला, ग्वार		
		11 A, B	4.0	ग्वार		
कुल क्षैत्रफल			17.0			
2.	B ब्लोक	12	5.0	ग्वार		
		13	5.0	ग्वार		
		14,16	1.0	ग्वार		
		15	3.0	ग्वार		
कुल क्षैत्रफल			14.0			

ब. केरिया फार्म –

क्र. सं.	ब्लोक	फिल्ड नम्बर	अनुमानित क्षैत्रफल (हैक्टर)	फसल	महाविद्यालय का हिस्सा (%)	हिस्सेदार का हिस्सा (%)
1.	A ब्लोक	1 A, B, C, D	1.5	ग्वार		
		2 A, B	4.0	ग्वार		
		2 C	2.0	मूंग		
कुल क्षैत्रफल			7.5			
2.	B ब्लोक	3 A, B, C, D	7.0	ग्वार		
		3 C	1.0	तिल		
कुल क्षैत्रफल			8.0			

नोट :

1. उपरोक्त सभी फसलों की बुआई की जा चुकी है।

मैने हिस्सा आधारित खेती हेतु निविदा की सभी शर्ते व नियम पढ़ लिये है तथा मै इनसे सहमत हूँ।

हिस्सेदार के हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पूर्ण पता : ....

मोबाइल नम्बर : ....

हिस्सा आधरित खेती हेतु निविदा नियम व शर्ते

1. इच्छुक व्यक्ति या फर्म 500.00 रूपये नकद जमा करवाकर फार्म खरीद सकता है या विश्वविद्यालय की वेबसाईड़ www.sknau.ac.in से फार्म डाउनलोड़ करने पर 500.00 रूपये फार्म के साथ नकद जमा करवाने होगें।
2. इच्छुक व्यक्ति या फर्म महाविद्यालय परिसर **या** केरिया फार्म **या** दोनों फार्मो के एक ब्लोक या एक से अधिक ब्लोकों के लिये निधारिंत प्रपत्र में अपना व महाविद्यालय का हिस्सा भरकर सीलबन्द लिफाफे में निविदा जमा करवा सकता है।
3. हिस्सा का प्रतिशत अंको व शब्दो में लिखना होगा। किसी भी प्रकार की कांट छांट किया हुआ निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा।
4. सफल हिस्सेदार को **500 रूपये प्रति हैक्टर** के हिसाब से अमानत राशि जमा करवानी होंगी।
5. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ धरोवर राशि **रूपये 5000.00 नगद या डिमांड ड्राफ्ट** जो की **अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर** के नाम से हो, को संलग्न करना होगा।
6. निविदा सफलता पूर्वक पूर्ण होने पर अमानत व धरोवर राशि निविदादाता को लौटा दी जायेगी।
7. कार्य सन्तोष जनक रूप से पूर्ण न होने या अधुरा छोड़ने की अवस्था में निविदादाता की अमानत व धरोवर राशि जप्त कर ली जायेगी।
8. फसल की निराई गुड़ाई से लेकर फसल थ्रेसिंग एवं गोदाम तक तोलकर रखवाने तक की सभी प्रक्रियों में लगने वाले श्रमिक व्यय हिस्सेदार को ही वहन करने होंगें।
9. विभिन्न प्रकार की सस्य क्रियायें फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करनी होंगी तथा सारा श्रमिक व्यय एवं लगने वाले औजारों की व्यवस्था स्वयं हिस्सेदार को ही वहन करनी होगी।
10. ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य तथा डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाईजर ड्रिलिंग कार्य आदि की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा कर दी गई है।
11. बुवाई के बाद एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले खाद एवं उर्वरक, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर इत्यादि की आपूर्ति आवश्यकतानुसार महाविद्यालय द्वारा ही की जायेगी।
12. हिस्सेदार को सिंचाई सम्बन्धी पाइप, फब्वारे, बेंड, टी, डाट आदि गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होगें तथा कार्य समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होगें। नहीं लोटाने पर इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
13. बीज उत्पादन फसलों में हिस्सेदार को बीज/दाना की ऐवज में बीज के मुल्य का भुगतान ऑन लाईन हिस्सेदार के खाते में किया जायेगा। हिस्सेदार के **बीज/दाना के मुल्य का निर्धारण** फसलों की थ्रेसिंग के समय निकटतम **कृषि उपज मंडी मे एक सप्ताह पहले एवं एक सप्ताह बाद के औसत भाव** के आधार पर किया जायेगा। जबकि हिस्सेदार को सभी फसलों का चारा उसके हिस्सा प्रतिशत के अनुसार थ्रेसिंग के तुरन्त बाद सुपूर्द कर दिया जायेगा।
14. व्यावसायिक फसलों (यदि कोई हो तो) में हिस्सेदार को बीज एवं चारा दोनो हिस्से के अनुरूप थ्रेसिंग के तुरन्त बाद दे दिया जायेगें।
15. फार्म पर कृषि कार्यो के दोरान किसी प्रकार की दुर्घटना होनें, सांप काटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर

महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी हिस्सेदार की होगी।

16. फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इक्कठा करना है व कितने ढ़ेर बनाने हैं इसके लिए फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क करना होगा।

17. निराई गुड़ाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुये हिस्सेदार को करने होगें। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार प्रभारी अधिकारी फार्म को होगा।

18. फसल की थ्रेसिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म मैनेजर/फार्म इन्चार्ज द्वारा बताये अनुसार तोलकर गोदाम में बोरियों की धांग हिस्सेदार को लगानी होगी। **वजन तोलते समय नमीं एवं कचरा का वजन नियमानुसार काटा जावेगा।**

19. थ्रेसिंग हेतु थ्रेसर महाविद्बालय द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी। थ्रेसिंग कार्य हेतु हिस्सेदार ट्रेक्टर व श्रमिक हिस्सेदार को उपलब्ध करवाने होंगे। थ्रेसिंग कार्य कार्यालय समय में ही करना होगा।

20. कटाई के बाद फसलों को इक्कठा करने एवं थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए ट्रेक्टर व ट्रोली हिस्सेदार को ही लानी होगी।

21. पम्प व ट्यूब वैल मोटर ओपरेशन निविदादाता को ही करना होगा।

22. आवास की व्यवस्था हिस्सेदार को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।

23. फार्म की फसलों की रखवाली दिन-रात की हिस्सेदार द्वारा की जावेगी। केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।

24. प्रथम वरीयता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आदेश प्रभारी अधिकारी दे सकेगें। अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि कार्य सन्तोषजनक होने पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात आपसी सहमति से अगले एक साल के लिए और बढाई जा सकती है।

25. निविदा दाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा हिस्सेदार या उसके मजदूर फार्म पर मदिरा या अन्य नशा सामग्री का उपयोग नहीं करेंगें।

26. फार्म कार्य संतोषजनक नहीं होने पर प्रभारी अधिकारी फार्म को निविदा को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा तथा जमा अमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा। जो कि हिस्सेदार को मान्य होगा।

मैने हिस्सा आधरित खेती हेतु निविदा की सभी शर्ते व नियम पढ़ लिये है, तथा मै इनसे पूर्ण रुप से सहमत हूँ।

हिस्सेदार के हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पूर्ण पता : ....

मोबाइल नम्बर : ....